

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

मानाराम बनाम मदावीर

किस्म मुकदमा :- 188

रा. काश्त. अधि. 1955

प्रकरण संख्या 33 सन् :- 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>22/2/17</p> <p>175/17</p> <p>29.5.17</p>	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 15/3/17 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><b>उपरखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</b></p> <p>15/3/17 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आपेश की पालना में दिनांक 17/5/17 को पेश हो।</p> <p>आदेशानुसार</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><b>पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर बीरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 29.5.17 को पेश हो।</b></p> <p>आदेशानुसार</p> <p><b>त्राय आपके द्वार अभियान - 2017</b></p> <p><b>लोक अदालत</b></p> <p>पत्रावली केस कोर्ट देराह में पेश किया वकील वादी ने हुकम वाद पत्रावली निवेदन किया कि आप देराह के ब न. 383 काबल 0.59 की शरती कतिपय पत्रावली के देवा मुज बुला जाते जावतिया</p>	<p>Issued 18/3 15-3-17</p> <p>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केस कोर्ट</p>

के नाम पर है जो विस्तार प्राप्त है। 11/11/2016  
 द्वारा वादीगण के नाम पर जारी है। वही नाम वादीगण  
 अथवा वादीगण उक्त आदेशों के अनुसार जारी है  
 उत्तरवादी अथवा 1 का उक्त आदेश पर कोई एक  
 व शर्तियात नहीं है। वादीगण अथवा उत्तरवादी  
 के लक्षण हैं। उत्तरवादी उत्तरवादी अथवा नाम  
 के कारण वादी के उक्त आदेश के अनुसार जारी  
 रहा है अथवा उत्तरवादी के उक्त आदेश के अनुसार जारी  
 आदेश प्राप्त है।

उक्त आदेशों में उक्त आदेशों के अनुसार जारी  
 कि वादीगण आदेशों के अनुसार जारी आदेशों  
 द्वारा 183 (B) वादीगण अथवा उत्तरवादी व उत्तरवादी  
 उत्तरवादी के उक्त आदेशों के अनुसार जारी है।

उत्तरवादी का उत्तरवादी आदेशों के अनुसार जारी  
 383 उक्त आदेशों के अनुसार जारी न 385 उक्त आदेशों  
 671 उक्त आदेशों के अनुसार जारी उत्तरवादी अथवा उत्तरवादी  
 उक्त आदेशों के अनुसार जारी उत्तरवादी अथवा उत्तरवादी  
 आदेशों है कि उक्त आदेशों 383 पर उत्तरवादी अथवा उत्तरवादी  
 जारी है अथवा उक्त आदेशों के अनुसार जारी व उत्तरवादी  
 की रिपोर्ट अनुसार उत्तरवादी अथवा उत्तरवादी अथवा उत्तरवादी

पाठासन अधिकारी  
 लोक अदालत कैम्प कोर्ट  
 2/1/17

